अनुदान संख्या 33 – राजस्व विभाग
GRANT No. 33 - DEPARTMENT OF REVENUE

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged -*		*2,00*	..	*-2,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	180941,24,00	180941,25,00	124422,24,93	-56519,00,07
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				56476,88,16
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	8,44,00	8,45,00	2,72,12	-5,72,88
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2,92,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹2.00 लाख* का *विनियोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआः–

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *₹2.00 lakhs* remained wholly unutilised under one head.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय– सामान्य सेवाएं	Secretariat- General Services				
मू.	O.	31740.00	33074.54	31590.10	-1484.44
पु.	R.	1334.54			
मुख्य शीर्ष "2047"	Major Head "2047"				
अन्य राजकोषीय सेवाएं	Other Fiscal Services				
मू.	O.	21982.00	28044.96	26341.77	-1703.19
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	6061.96			
मुख्य शीर्ष "2070"	Major Head "2070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services				
मू.	O.	5027.00	5556.12	5125.32	-430.80
पु.	R.	529.12			
मुख्य शीर्ष "2875"	Major Head "2875"				
अन्य उद्योग	Other Industries				
मू.	O.	35347.00	24737.86	24154.38	-583.48
पु.	R.	-10609.14			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	17500002.00	11400200.00	11400200.00	..
पु.	R.	-6099802.00			

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	500001.00	954800.00	954800.00	..
पु.	R.	454799.00			

(I) ₹1437.00 लाख प्रावधान सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹1272.00 लाख मुख्य शीर्ष "2047" – "अन्य व्यय – राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान को अनुदान" के अंतर्गत पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने एवं ज्ञापन समझौता ज्ञापन के हस्ताक्षर न होने के कारण हुई।

(I) Provision of ₹1437.50 lakhs remained wholly unutilised under seven heads; of these ₹1272.00 lakhs accounted for under Major Head "2047" – "Other Expenditure – Grants to National Institute of Public Finance and Policy" – due to availability of unspent balance of previous year and non-signing of Memorandum of Understanding.

(II) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय" – "वस्तु एवं सेवा कर परिषद सचिवालय" – ₹1199.63 लाख की बचत (₹2622.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरें जाने, परमार्श शुल्क, किराया और आईटी पेरीफेरल्स की खरीद के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2052" - "Secretariat – Goods and Service Tax Council Secretariat" – saving of ₹1199.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2622.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards counsel fees, rent and purchase of IT peripherals.

(III) मुख्य शीर्ष "2875" – "अफीम और एल्केलॉइड उद्योग" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :–

(III) Under the Major Head "2875" – "Opium and Alkaloid Industries" - savings occurred under the following heads:-

(का) "गाजीपुर अफीम फैक्ट्री – अफीम की खरीद" – ₹2506.65 लाख की बचत (₹3737.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); हुई और

(A) "Ghazipur Opium Factory - Purchase of Opium"- saving of ₹2506.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3737.00 lakhs); and

(खा) "नीमच अफीम फैक्ट्री – अफीम की खरीद" – ₹6449.63 लाख की बचत (₹10826.43 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Neemuch Opium Factory - Purchase of Opium"- saving of ₹6449.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10826.43 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें अफीम की खरीद के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to requirement of less funds towards purchase of opium.

(गा) "गाजीपुर एल्केलॉइड वर्क्स – प्रबंधन" – ₹2234.54 लाख की बचत (₹3516.02 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरें जाने और एल्केलॉइड के आयात से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(C) "Ghazipur Alkaloid Works-Management" - saving of ₹2234.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3516.02 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards import of alkaloids.

(घा) "नीमच एल्केलॉइड वर्क्स – अन्य व्यय" – ₹700.25 लाख की बचत (₹4200.25 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अफीम के कम शुल्क की वजह से पूंजीगत लागत पर कम ब्याज होने के कारण हुई।

(D) "Neemuch Alkaloid Works – Other expenditure" - saving of ₹700.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4200.25 lakhs) was due to lower interest on capital cost owing to less charging of opium.

(IV) मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान" – बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई; और

(IV) Under the Major Head "3601" – "Other Transfers/Grants to States" - savings occurred under the following heads:-

(का) "जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि के लिए प्रतिपूर्ति – राज्यों को राजस्व हानि नुकसान के लिए प्रतिपूर्ति" – ₹2299900.00 लाख की बचत (₹8750000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों को जीएसटी प्रतिपूर्ति जारी किए जाने के कारण कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुईं।

(A) "Compensation for loss of revenue arising out of implementation of GST - Compensation for Revenue Loss to States" – saving of ₹2299900.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8750000.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards release of GST compensation to states.

(खा) "आरक्षित निधि जमा लेखे को अंतरण – वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति निधि को अंतरण" – ₹3799900.00 लाख की बचत (₹8750000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों को जीएसटी प्रतिपूर्ति जारी किए जाने की वजह से निधियों का कम अंतरण होने के कारण हुई।

(B) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Account – Transfer to Goods and Service Tax compensation fund" - saving of ₹3799900.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8750000.00 lakhs) was due to less transfer to fund owing to release of GST compensation to states.

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹613.70 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक किंतु ₹500.00 लाख से कम तथा स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत और 32 प्रतिशत थी।

(V) Under two heads savings of ₹613.70 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 16 percent and 32 percent of the sanctioned provision.

3. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईः–

3. The above savings were offset by excess under the following major heads:-

(I) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय – राजस्व विभाग" – ₹1782.96 लाख का अधिक व्यय (₹20979.70 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किराये में संशोधन, कार्यालय के लिए स्थान किराये पर लेने, कार्यालय उपकरण की खरीद, रेलवे भाड़ा की मंजूरी, बिजली बिलों और बाहरी स्त्रोत से ली जाने वाले सेवाओं के संबंध में अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(II) मुख्य शीर्ष "2047" –

(का) "विदेशी मुद्रा विनियमन – प्रवर्तन निदेशालय" – ₹4738.69 लाख का अधिक व्यय (₹16514.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना मे) रिक्त पदों को भरें जाने एवं ई–ऑफिस का कार्यान्वयन होने के कारण हुआ।

(खा) धन शोधन निवरण अधिनियम, 2002 – सहायक प्राधिकारी – ₹778.80 लाख का अधिक व्यय (₹170.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कंम्प्यूटर और पेरीफेरल्स की खरीद, ई ऑफिस का कार्यान्वयन और अधिक दौरे किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(III) मुख्य शीर्ष "2070" – "अंतराष्ट्रीय सहयोग – सीमा शुल्क परिषद" – ₹503.50 लाख का अधिक व्यय (₹70.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत द्वारा देय अंश दान में वृद्धि होने विनियम दर में विविधता होने के कारण हुआ।

(IV) मुख्य शीर्ष "2875" – "अफीम और एल्केलॉइड उद्योग – गाजीपुर एल्केलॉइड वर्क्स – अन्य व्यय" – ₹567.81 लाख का अधिक व्यय (₹2075.83 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) फैक्ट्री को अधिक अफीम अंतरित किए जाने के कारण हुआ।

(V) मुख्य शीर्ष "3602" – "अन्य अंतरण/विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अनुदान" –

(I) Major Head "2052" – "Secretariat – Department of Revenue" - excess of ₹1782.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20979.70 lakhs) was due to requirement of additional funds towards revision of rent, hiring of office space, purchase of office equipments, clearance of railway freight/ electrical bills and outsourcing of services.

(II) Major Head "2047" –

(A) "Regulation of Foreign Exchange – Enforcement Directorate" - excess of ₹4738.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16514.00 lakhs) was due to filling up of vacant posts and implementation of e-office.

(B) "Prevention of Money Laundering Act, 2002 – Adjudicating Authority" - excess of ₹778.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹170.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards procurement of computers and peripherals, implementation of e-office and more tours undertaken.

(III) Major Head "2070" – "International Co-operation – Customs Council" - excess of ₹503.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹70.00 lakhs) was due to increase in the contribution payable by India and exchange rate variations.

(IV) Major Head "2875" - "Opium and Alkaloid Industries – Ghazipur Alkaloid Works – Other Expenditure" - excess of ₹567.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2075.83 lakhs) was due to transfer of more opium to the factory.

(V) Major Head "3602" – "Other Transfer/ Grants to Union territory Governments with Legislature" -

(का) "जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली राजस्व की हानि की प्रतिपूर्ति – विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र सरकार को राजस्व हानि के लिए प्रतिपूर्ति" – ₹227400.00 लाख का अधिक व्यय (₹250000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विधान मंडल संघ राज्य वाले क्षेत्रों को अधिकतम जीएसटी प्रतिपूर्ति जारी किए जाने के कारण हुआ।

(A) "Compensation for loss of revenue arising out of implementation of GST – Compensation for revenue loss to union territory Government with Legislature"- excess of ₹227400.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹250000.00) lakhs was due to release of higher GST compensation to Union Territories with Legislature.

(खा) "आरक्षित निधि जमा लेखे को अंतरण – वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति निधि को अंतरण" – ₹227400.00 लाख का अधिक व्यय (₹250000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जीएसटी प्रतिपूर्ति निधि को अतिरिक्त निधि अंतरित किए जाने के कारण हुआ।

(B) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Account – Transfer to Goods and Service Tax compensation fund" - excess of ₹227400.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹250000.00 lakhs) was due to transfer to additional funds to GST compensation fund.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में चार शीर्षों के अंतर्गत ₹313.00 लाख का प्रावधान पूर्ण रूप से अप्रयुक्त रहा।

4. In the capital section of the grant, provision of ₹313.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads.

5. मूल्यहास आरक्षित निधि – अफीम और एल्केलॉइड फैक्टरियां:–

5. Depreciation Reserve Fund – Opium and Alkaloid Factories:-

ये निधियां 1970–71 में एल्केलाइड फैक्टरियों की अचल परिसंपतियों पर मूल्यहास लगाने की वाणिज्यक पद्धति को प्रवर्तित करने के लिए गठित की गई थीं। वर्ष के दौरान प्रत्येक फैक्टरी की परिसंपत्तियों के मूल्य पर परिकलित किया गया मूल्यहास इन निधियों में इस अनुदान में प्रतिरक्षी नामे द्वारा जमा किया जाता है। निधि के शेषों पर समय–समय पर लगाया गया ब्याज भी इन निधियों में इस अनुदान में प्रतिरक्षी नामे द्वारा जमा किया जाता है।

These funds were constituted in 1970-71 for introducing the commercial practice of charging depreciation on fixed assets of the Alkaloid Factories. Depreciation calculated on the value of assets used in each factory during the year is credited to these funds by per contra debit to this grant. Interest on the fund balances from time to time is also credited to these funds by per contra debit to this grant.

वर्ष 2018–19 के लिए मूल्यहास आरक्षित निधियों का लेखा निम्न प्रकार से था:–

The Account of Depreciation Reserve Fund for 2018-19 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

		गाजीपुर Ghazipur		नीमच Neemuch	
		अफीम फैक्टरी Opium Factory	एल्केलाइड कार्य Alkaloid Works	अफीम फैक्टरी Opium Factory	एल्केलाइड कार्य Alkaloid Works
अथशेष	Opening Balance	11,53,87	13,67,20	9,01,26	24,85,79
प्राप्तियां	Receipts	10,92	22,00	37,00	97,00
जमा किया गया ब्याज	Interest Credited	35,33	47,15	34,00	97,00
अदायगियां	Payments	..	..	..	..
अंतशेष	**Closing Balances**	**12,00,12**	**14,36,35**	**9,72,26**	**26,79,79**

6. राष्ट्रीय दवा दुरूपयोग नियंत्रण निधिः–

राष्ट्रीय दवा दुरूपयोग नियंत्रण निधि की स्थापना "नशीली दवाओं और मादक पदार्थ अधिनियम" 1985 जो 24 मार्च, 2006 को अधिनियमित हुआ के अंतर्गत हुई थी। निधि की स्थापना भारत के लोक लेखा में सरकार/स्वयंसेवी/अन्य संगठनों और संस्थाओं द्वारा स्वापक औषधियों एवं मादक पदार्थो में अवैध लेनदेन का मुकाबला करने, जागरूकता पैदा करने, पहचान परामर्श देने, नशे के आदी का उपचार और पुनर्वास सहित विभिन्न तरह से सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हुई थी।

केंद्र सरकार को प्राप्त राशि (संसद द्वारा विधिवत् विनियोग पूरा करने के पश्चात्), अधिनियम के अध्याय V क के अंतर्गत जब्त किसी संपत्ति की बिक्री आय, किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा दिया गया अनुदान तथा निधि में जमा की गई राशि के निवेश से कोई आय तथा अनुदान के खंड 7 क में समाविष्ट उद्देश्यों के लिए निधि से प्रयुक्त होती है।

वर्ष 2018–19 के लिए राष्ट्रीय दवा दुरूपयोग नियंत्रक निधि के लेखे निम्नानुसार थे:

6. National Fund for Control of Drug Abuse:-

The National fund for Control of Drug Abuse was established under the "Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act", 1985 enacted on 24th March, 2006. The fund was constituted in the Public Account of India to provide the whole range of services including combating illicit traffic in narcotic drugs & psychotropic substances, awareness generation, identification, counseling, treatment and rehabilitation of drug addicts through Government/ Voluntary/other organizations and institutions.

The amount received for Central Government (after due appropriation met by Parliament), sale proceeds of any property forfeited under chapter V A of the Act, grant made by any person or institution and any income from investment of amount credited to the fund and utilized from the fund for the purposes contained in section 7 A of the Act.

The Account of National Fund for Control of Drug Abuse for 2018-19 was as follows :-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	26,69,23
प्राप्तियां	Receipt	1,84,61
जमा किया गया ब्याज	Disbursements	..
अंतशेष	Closing Balance	28,53,84